रिटायर्ड फौजी देश के किसी भी अस्पताल में करा सकेंगे इलाज

नईदुनिया, विलासपुर

- रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर तैयार किया जा रहा चिप लगा पहचान पत्र
- रक्षा मंत्रालय चिकित्सा सुविधा के लिए जारी करेगा अनलिमिट फंड

रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर सेवानिवृत्त फौजियों के लिए विशेष प्रकार का चिप लगा पहचान पत्र बनाया जा रहा है। इस कार्ड के बनने के बाद फौजी देश के किसी भी कोने में संचालित अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे। खास बात यह है कि इलाज के लिए केंद्र सरकार ने कोई लिमिट तय नहीं की है। रिटायर्ड फौजियों के इलाज में भी खर्च होने वाली राशि का केंद्र सरकार वहन करेगी।

रिटायर्ड सैनिकों के बुरे वक्त में केंद्र सरकार ने साथ देने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर चिप लगा विशेष प्रकार का कार्ड बनाया जा रहा है। इस कार्ड को रिटायर्ड सैनिकों के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा ।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बनाए जा रहे विशेष प्रकार के कार्ड में फौजी की पूरी बायोग्रॉफी होगी। इतना ही नहीं पत्नी, बेटा, बहू और बेटी अगर अविवाहित है तो उनका भी कार्ड में उल्लेख रहेगा। विशेष प्रकार के कार्ड को स्वेप करते ही रिटायर्ड फौजी की पूरी जानकारी कंप्यूटर के स्क्रीन पर सामने आ जाएगी। चिप युक्त कार्ड से फौजी देश के किसी भी कोने में किसी भी अस्पताल में बेहतर इलाज करा सकेंगे । रिटायर्ड फौजी और उनके परिजनों के इलाज में जितनी राशि खर्च होगी सब केंद्र सरकार वहन करेगी। इस कार्ड से देश के लाखों पूर्व फौजियों को फायदा होगा।

> केंद्र सरकार के निर्देश पर रिटायर्ड सैनिकों के लिए विशेष चिप से देश के किसी भी कोने में इलाज कराने की सुविधा मिलना प्रारंभ हो जाएगा, इसकी राशि केंद्र सरकार वहन करेगी ।
>
> -शिवेंद्र पांडेय-कल्याण संयोजक, जिला कल्याण सैनिक बोर्ड बिलासपुर

Scanned by CamScanner

Servicemen free to access any CSD canteen: Army

Ajay.Sura
@timesgroup.com

Chandigarh: Army authorities have made it clear that the defence personnel, serving as well as retired, can purchase goods from any canteen stores department (CSD) canteens in the country.

It has also been clarified that every canteen smart card is applicable pan India and across all CSD canteens irrespective of from which canteen it has been issued.

The decision has been taken by the Army authorities after receiving complaints regarding denial of access to authorized defence personnel into the CSD canteens and purchase stores.

However, ex-servicemen (ESM) would not be entitled to purchase liquor from any canteen. To get the liquor as per their quota, they have to depend on the canteen allotted to them by the station headquarters.

For instance, an ESM allotted a canteen in Hisar or Patiala would be able to draw his quota of liquor from those places only.

But there would be no such restrictions for the serving defence personnel. They would be allowed to draw liquor from any CSD canteen across the country while on temporary duty or leave.

PAN INDIA SMART CARD

The Quarter Master General (QMG) branch of integrated headquarters of the Union defence ministry has issued revised guidelines regarding the availability of CSD privileges to the serving as well as ex-servicemen (ESM). The circular containing new guidelines, was released on June 1 for circulation to all the commands headquarters, military formations and Sainik boards of various districts across the country for their information of serving as well as veterans.

"No CSD canteen will deny access to any authorized beneficiary who is in possession of his canteen smart card. No canteen will refuse sale of store liquor to serving personnel while on temporary duty leave, irrespective of their dependency," says the circular.

It, however, clarified that ESM will purchase liquor from the canteen allotted to them by the stations headquarters in order to avoid shortage of stock at canteen, which draws limited liquor as per extant policy on dependency and excise constraints.

Scanned by CamScanner

पूर्व सैनिक की बेटी के विवाह के लिए अब 50 हजार मिलेंगे

जागरण संवाददाता, ऊना : पूर्व सैनिकों को अब बेटियों के विवाह को लेकर आर्थिक तंगी नहीं सताएगी। बेटी के विवाह में केंद्रीय सैनिक बोर्ड मददगार बनेगा। पूर्व सैनिकों को पहले की तुलना में अधिक राशि प्रदान की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के सवा लाख पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से पूर्व सैनिकों को बेटियों के विवाह के दौरान आर्थिक मदद दी जाती है। इसमें उन्हें 16 हजार रुपये के बजट का प्रावधान होता था। अब इस राशि में इजाफा किया गया है। उन्हें 50 हजार रुपये की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी। इसमें उन्हें 34 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। ऐसे में एक विवाह के लिए यह मदद उनके लिए बड़ा आसरा होगी।सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सैनिक पेंशन पर ही आश्रित होते हैं। ऐसे में परिवार के पालन पोषण के साथ ही बच्चों के विवाह करवाना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है। विवाह संबंधी कार्यों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से आर्थिक मदद का प्रावधान है। इसमें सिपाही और हवलदार स्तर के पूर्व सैनिक लाभ लेने के पात्र होते हैं। बेटी के विवाह में अधिक खर्च होने को लेकर बोर्ड उन्हें 50 हजार की राशि मुहैया करवाएगा। इसके लिए पूर्व सैनिकों को पहले की तरह आवेदन करना होगा और उन्हें यह राशि प्रदान की जाएगी। उधर, सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक मेजर रघुवीर सिंह ने कहा है कि विवाह अनुदान योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। पूर्व सैनिक वर्ग को इससे काफी राहत मिलेगी और वे इसका लाभ जरूर उठाएं। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ आवेदन के आधार पर मिलता है और ऐसे पूर्व सैनिक जिनकी बेटियों के विवाह होने वाले हैं, इस संबंध में जानकारी लेकर आर्थिक राशि जरूर प्राप्त करें।

राहत

- सिपाही और हवलदार रैंक से रिटायर पूर्व सैनिकों को राहत
- केंद्रीय सैनिक बोर्ड करेगा यह आर्थिक मदद

Scanned by CamScanner

कैंटीन से खरीद फरोख्त में अँगूठे की जरूरत नहीं

नगर प्रतिनिधि | जबलपुर

सीएसडी कैंटीन में खरीद फरोख्त के लिए अब अँगूठे के निशान लगाने से आजादी मिल गई है। मतलब साफ है कि बायोमैट्रिक मशीन में अब पंच नहीं करना होगा। खासतौर पर बुजुर्ग कार्ड होल्डर्स की परेशानियों को देखते हुए आर्मी हैडक्वार्टर ने बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन के आदेश वापस ले लिए हैं। सीएसडी कैंटीन में सामान की खरीददारी के लिए चंद दिनों पहले लागू किया गया बायोमैट्रिक सिस्टम अब बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बायोमैट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को तकीरबन दो महीने पहले ही लागू किया गया था। सबसे बड़ी परेशानी यह आई कि सेवानिवृत्त कर्मियों को भी खरीददारी के लिए आना अनिवार्य हो गया था। इससे पहले तक बुजुर्गों के परिजन उनके कार्ड से खरीदी कर लाते थे।

कर्मियों ने खुशी जताई- संस्था विजन आर्डनेंस ने इस परेशानी को प्रमुखता से उठाया। संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस सिस्टम को खत्म करने के लिए सांसद राकेश सिंह के जरिए रक्षा मंत्री तक माँग पहुँचाई गई। आखिरकार सैन्य मुख्यालय को इस आदेश को वापस लेना पड़ा। संस्था के सीएस राजपूत, प्यारेलाल, पूरन बहादुर, डीएस भारती, कृष्ण मूर्ति, सीपी राज, प्रदीप गर्ग, एमएन सिंह ने पुराने सिस्टम को बहाल किए जाने का स्वागत किया है। पी-5

Scanned by CamScanner

फौजियों के परिजनों से अब अदब से पेश आएगी पुलिस

डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, गोरखपुर: फौजियों के परिजनों से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस वालों की अब खैर नहीं होगी। यदि वे कोई समस्या लेकर थाने में पहुंचते हैं तो पुलिस वालों को उनके साथ न केवल अदब से पेश आना होगा, बल्कि उनकी समस्या का त्वरित समाधान भी करना होगा। ताकि देश की सुरक्षा में दिन-रात समर्पित रहने वाले फौजियों को घर-परिवार की समस्या के तनाव का सामना न करना पड़े।

थानों में फौजियों के परिजनों से दुर्व्यवहार की लगातार शिकायत मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया है। प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर उन्होंने फरियाद या अन्य कोई समस्या लेकर आने वाले फौजियों के परिजनों का सम्मान करने का निर्देश दिया है। पुलिस कप्तानों को उन्होंने निचले स्तर तक के सभी कर्मचारियों को इससे अवगत कराने तथा इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए भी निर्देशित किया है। वर्तमान में सेवारत फौजियों के साथ ही साथ सेवानिवृत्त फौजियों तथा उनके परिजनों से भी उन्होंने अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दी है। देश की सरहद की रखवाली में 24 घंटे तत्पर रहने वाले फौजियों की तैनाती आमतौर से दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में होती है। घर आने के लिए उन्हें अवकाश भी बहुत कम मिलता है।

डीजीपी ने लिखा है कि ऐसी स्थिति में उनके परिवार को ही समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए फौजियों के परिजनों को समस्या का समाधान करने के लिए मदद की दरकार होती है। इसके लिए पुलिस के पास जाने पर यदि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो पूरा परिवार इससे आहत होता है।

अधिकारी करेंगे फौजियों से जुड़ी समस्या की समीक्षा

डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को फौजियों से जुड़ी समस्या का हर थाने में अलग से रजिस्टर बनवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को उनकी समस्या के समाधान की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करने की भी हिदायत दी है। साथ ही वर्तमान या पूर्व फौजी तथा उनके परिवार के लोगों से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

airtel
सार्वजनिक सूचना
उत्तर प्रदेश (पूर्व) के सभी एयरटेल

Scanned by CamScanner

20 लाख तक की संपत्ति खरीद पर स्टांप नहीं देंगे पूर्व सैनिक

जागरण संवाददाता, कानपुर : देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 20 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर अब उन्हें स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। शहीद सैनिकों के आश्रितों को भी इसमें शामिल किया गया है। अर्धसैनिक बल और केंद्रीय सशस्त्र बल के शहीदों के आश्रितों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार अभी तक भूतपूर्व सैनिकों को 200 मीटर प्लाट की संपत्ति खरीद पर स्टांप शुल्क से छूट देती थी। शासनादेश में धनराशि का कोई जिक्र नहीं था। वहीं अर्ध सैनिक बल और केंद्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों के आश्रितों को इससे अलग रखा गया था।

चूंकि विकास प्राधिकरणों और आवास

राहत

- शहीद सैनिकों के आश्रितों, अर्धसैनिक बल और केंद्रीय बल के शहीदों के आश्रितों को भी लाभ
- अभी तक 200 मी. प्लाट की खरीद पर छूट देती थी सरकार, राशि का नहीं था जिक्र

आ रही थी। 20 जून 2018 को प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार ने शासनादेश जारी किया। अब ज्वाइंट संपत्ति खरीद में भी लाभ दिया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेज के शहीदों के विधिक आश्रितों को जोड़कर उन्हें भी लाभ की श्रेणी में शामिल किया गया है।

एआइजी स्टांप देवेंद्र सिंह ने बताया कि चारों जोनों में प्रतिवर्ष एक हजार से ज्यादा बैनामे भूतपूर्व सैनिकों व शहीद सैनिकों के आश्रितों

Scanned by CamScanner

दैनिक भास्कर

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को प्रतिमाह एक हजार रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी

भास्कर संवाददाता | देवास

केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को कक्षा 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृति एक हजार रुपए प्रतिमाह होगी। हवलदार रैंक का भूतपूर्व सैनिक है तो उसे उसकी बेटी की शादी के लिए 50 हजार रुपए रक्षामंत्री विवेकाधीन निधि से दी जाएगी। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक या परिजन को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

यह छात्रवृति उन्हें ग्रेजुएशन करने तक निरंतर मिलती रहेगी। ताकि उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न हो। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक कल्याण बोर्ड की वेब साइट पर ऑन लाइन आवेदन करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को कक्षा 6 से छात्रवृत्ति मिलेगी। हवलदार रैंक के सैनिक को बेटी की शादी के लिए 50 हजार का भी प्रावधान है।

सैनिक ऑन लाइन आवेदन कर इनका लाभ ले सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी न आए, इसके लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। योजना के तहत भूतपूर्व सैनिक के बच्चों को कक्षा 6 से छात्रवृति देना शुरू कर दी जाएगी। हवलदार या इससे ऊंची रैंक से सेवा निवृत हुए सैनिक को उसकी बेटी की शादी के लिए रक्षा मंत्री विवेकाधीन निधि से 50 हजार रुपए देने का प्रावधान भी रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है।

नौकरियों में मिले भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता : स्थानीय स्तर पर निकाय या जिला प्रशासन द्वारा नियुक्तियां की जाती है तो उनमें भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पार्किंग सहित विभिन्न प्रकार के ठेकों में भी भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता मिले। ताकि भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर मिले।

Scanned by CamScanner

CEA AFTER RETIREMENT

Good news for Ex Servicemen.

Now Ex Servicemen are entitled for *Children Education Allowance (CEA)* after retirement. For that earlier you have to apply through your Zila Sainik Board (ZSB).

Now you can apply online too. Last date is approaching, hurry up and act fast.

Website : www.ksb.gov.in

Last dates are as follows :-
Class 1 to 9. : *31 May*
Class 10 to 12 : *31 Jul*
College going girls up to graduation : *31 Aug 2016* & PM Scholarship date is not yet received, may be *30 Nov.*

All forms are available online. Hard copies, you have to deposit in Concerned Sainik Board. Details of these CEA is available on *www.ksb.gov.in* in Welfare and Educational Financial Assistance.

PLEASE SHARE THIS TO MAXIMUM POSSIBLE FOR THE WELFARE OF EX SERVICEMEN.

Procedure

First go to website, register your details and upload photo (photo all details of Ex Servicemen only).

You will receive *Password* to your Email ID.
Then login with your Email ID as username.

Select the scheme (Financial Assistance for Education of Children Of ESM/Widows of ESM), then fill the Form & upload following documents :-

Note : Document size *below 1mb* each.

1. Discharge Book.
2. Identity Card (Issued by ZSWO).
3. Marks Sheet of Student.
4. Bank Passbook first page.
5. Aadhaar Card (ESM).
6. *Part-II Order* of Children name page in Discharge Book.
7. One certificate stating that you are not getting same grant from any source.

Download the application form in pdf format and visit *Zila Sainik Welfare Office (ZSWO)* with original documents along with pdf application for verification.
Regards,

Scanned by CamScanner